

329

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 329

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 22/02/13 से 14.05.13 तक

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं० 53 / 2013-2014 हल्का सं० 06

अनुमंडल- पटना सिटी

हल्का सं० 06

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की ग कार्रवाई वारे टिप्पण तारीख स												
2.02.13	<p>श्री/श्री मती <u>श्री श्रीवीर कुमार</u></p> <p>पिता/पति श्री/श्री मती <u>श्री २५० नाथ शर्मा</u></p> <p>ग्राम <u>कुशापट्टी</u> पो० <u>ठाहीचर</u> थाना <u>फतुहां</u></p> <p>जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>24449</u> दिनांक <u>02/09/12</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा(ए.-डि में)</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>सोनान</u></td> <td><u>30</u></td> <td><u>17</u></td> <td><u>786</u></td> <td><u>06 चुर</u> <u>10 चुरी</u></td> <td><u>0.15</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>02.03.13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकवा(ए.-डि में)	लगान	<u>सोनान</u>	<u>30</u>	<u>17</u>	<u>786</u>	<u>06 चुर</u> <u>10 चुरी</u>	<u>0.15</u>	
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकवा(ए.-डि में)	लगान									
<u>सोनान</u>	<u>30</u>	<u>17</u>	<u>786</u>	<u>06 चुर</u> <u>10 चुरी</u>	<u>0.15</u>									
2.03.13	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।</p> <p>हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विक्रेता / पावरकर्ता / पूर्व विक्रेता / दानकर्ता <u>जगन्नाथ प्र० वी शिवशाय प्रसाद</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,भू-दान,भू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सुचना एवं माल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>													
2.05.13	<p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>													

22/02/13
516113

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०...०६...^० दाखिल खारीज बाद सं०...५३.../2013-2014

तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित

4.05.13

अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विक्रेता/पावरदाता/पूर्व विक्रेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है चूंकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित कायां है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की रिजिस्ट्रार दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित


अंचलधिकारी
फतुहा।


अंचलधिकारी
फतुहा।